रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 23, 2012/फाल्गुन 4, 1933
No. 75] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 23, 2012/PHALGUNA 4, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2012

सा.का.नि. 103(अ).— मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित केंद्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2010 का प्रारूप, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 30 नवम्बर, 2010 में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 929(अ), तारीख 30 नवम्बर, 2010 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और राजपत्र अधिसूचना की ऐसी प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, तारीख 6 दिसम्बर, 2010 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मोटर यान (संशोधन) नियम, 2012 है ।

(2) अधिसूचना के खंड 2 और खंड 3, मोटर यान (संशोधन) नियम, 2012 के राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे और खंड 4, उसके प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष पश्चात् प्रवृत्त होगा ।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 85 के उपनियम (4) के परंतुक में "नियम 115 के उपनियम (14) में विनिर्दिष्ट (भारत प्रक्रम III)" कोष्ठकों, शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "नियम 115 के उपनियम (15) में विनिर्दिष्ट (भारत प्रक्रम-IV)" कोष्ठक, शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे ।

3. उक्त नियमों के नियम 90 के उपनियम (7) के परंतुक में "नियम 115 के उपनियम (14) में विनिर्दिष्ट (भारत प्रक्रम-III)" कोष्ठकों, शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "नियम 115 के उपनियम (15) में विनिर्दिष्ट (भारत प्रक्रम-IV)" कोष्ठक, शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे ।

4. उक्त नियमों के नियम 115 में,-

(अ) उपनियम (2) में,-

(क) खंड (i) की सारणी में, क्रम संख्यांक 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"5.	उत्सर्जन मानक भारत प्रक्रम-II या प्रक्रम-III के अनुसार विनिर्मित चौपहिया यान	0.5	750";

(ख) खंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु प्रक्रम-IV मानकों के अनुसार विनिर्मित पैट्रोल/संपीड़ित प्राकृतिक गैस/द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस से प्रचालित प्रत्येक मोटर यान निम्नलिखित सारणी में दिए गए कार्बन मोनोआक्साइड (सीओ), हाइड्रो कार्बन (एच सी) और लंबडा के लिए लागू उत्सर्जन मापदंडों अनुप्रयुक्त और उच्च अनुप्रयुक्त का अनुपालन करेंगे, अर्थात् :--